जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

फरवरी माह में बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के 10891 मामले पकड़े

दस करोड़ चौरासी लाख के राजस्व का किया निर्धारण

566 एफ.आई.आर. दर्ज, तीन गिरफतार

जयपुर, 16 फरवरी। जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने बिजली चोरी पर प्रभावी रोक लगाने के लिये डिस्कॉम क्षेत्र में चोरी बाहुल्य क्षेत्रों को चिन्हित कर सघन सतर्कता जांच करने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये है। बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिये सतर्कता विंग के अधिकारियों के साथ ही ओ एण्ड एम विंग के अभियन्ता भी प्रभावी कार्यवाही रहे है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनुराग भारद्वाज ने बताया कि सतर्कता विंग एवं ओ एण्ड एम के अभियन्ताओं के द्वारा फरवरी माह में अब तक 10981 जगहों पर जांच की गई, जिसमें सभी जगह बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के मामले पकड़े गये। इन सभी मामलों में 10 करोड़ 84 लाख 15 हजार के राजस्व वसूली का निर्धारण किया गया। इसके साथ ही बिजली चोरी के 566 मामलो में एफ.आई.आर. दर्ज हुई, जिसमें से 355 मामलों में 61 लाख 22 हजार रुपए के राजस्व की वसूली कर ली गई है। शेष प्रकरणों में 3 को गिरफतार किया गया है।

उन्होंने बताया कि पिछले तीन दिन ही में 3078 स्थानों पर जांच की गई, जिसमें 2193 बिजली चोरी एवं 885 बिजली दुरुपयोग के मामले पकड़े गए। इन मामलों में करीब 3 करोड़ रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है।

श्री भारद्वाज ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिये एक फरवरी से 15 फरवरी तक की गई कार्यवाही में बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के सामने आए मामलों में अलवर वृत में सर्वाधिक 1832 मामले पकड़े, जिसमें 2 करोड़ 21 लाख 35 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया। इसके बाद जयपुर जिला वृत में 1657 बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के पकड़े गये मामलों में 92 लाख 43 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया। इसी तरह कोटा वृत में 1081 मामलों में 85 लाख 61 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया। जयपुर शहर वृत में 904 मामलों में 92 लाख 61 हजार रुपए, झालावाड़ में 836 मामलों में 79 लाख 23 हजार, बूंदी वृत में 643 बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के मामलों में 43लाख 55 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है।

इसी तरह धौलपुर वृत में 642 बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के मामलों में 84 लाख 96 हजार के राजस्व का निर्धारण किया गया। बारां वृत में पकड़े गए 607 मामलों में 42 लाख 30 हजार के राजस्व का निर्धारण किया गया, सवाईमाधोपुर वृत में 576 बिजली चोरी के मामलों में 62 लाख 60 हजार का निर्धारण किया गया। भरतपुर वृत में 545 बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के मामलों में 67 लाख 59 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया एवं दौसा वृत में 473 मामलों में 57 लाख 67 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है।

करौली वृत में 463 बिजली चोरी एवं दूरुपयोग के प्रकरणों में 46 लाख 55 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया एवं टोंक वृत में 446 मामलों में 62 लाख 4 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 192/2015